2018/00176

App-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार - 2018

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

पुष्पाबाई बनाम राज० सरकार जरिए तहसीलदार (रावतभाटा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 128 LRAct नं. 127 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
16-5-18	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट. तहत जांच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थिया श्रीमति पुष्पाबाई पत्नी प्रभूलाल जैन निवासी बोरावं ने ग्राम खेमाखेडा स्थित सह खातेदारी की आराजी नम्बर 84,140,141,142,143,144,145 146,147,150,171 कीता 11 रकबा 3.18 हे की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्रार्थी के सह खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम खेमाखेडा स्थित आराजी नम्बर 84,140,141,142,143,144, 145,146,147,150,171 कीता 11 रकबा 3.18 हे० की बिना किसी के कब्जे के दखलन्दाजी किये सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी खर्चा प्रार्थी वहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 200/- रुपए अधूरे हो से मय प्रार्थी से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पक्षकारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालना प्राप्त हो। पत्रावली के साथ शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner